

वादेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम -129)

आदेश - पत्रक - ता 0. 27. 2. 17 से तक।

जिला **विक्रित** वाद सं० 51/2016-17... सन् 2016 - 2017

केश का प्रकार - **रकबा सुधारके के संघर्ष में**

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																
27.02.2017	<p>2</p> <p>श्री कमल कुमार सिंह पिताजी श्रीमती प्रभावादा, ग्राम भदुमा थाना जदवा द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन पत्र में ग्राम महुलिया के मांग पंजी II के प्रक संख्या 22/II पर रकबा सुधारने का अनुरोध किया गया है। ग्राम के विवरण निम्नवत है।</p> <table border="1"> <tr> <td>ग्राम</td> <td>स्थान</td> <td>पैरिसें-</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td>महुलिया-</td> <td>52</td> <td>546</td> <td>0.44 1/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>547</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><u>0 86 1/2</u></td> </tr> </table> <p>संसामक आवेदन पत्र के अलावा हमें रकबा कर्मचारी एवं अंमल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की तथा राजस्व कागजात के साथ दोनों पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करें</p> <p>अंमल अधिकारी जदवा</p>	ग्राम	स्थान	पैरिसें-	रकबा	महुलिया-	52	546	0.44 1/2			547	0.42				<u>0 86 1/2</u>	<p>P.No-24 07/02/2020</p>
ग्राम	स्थान	पैरिसें-	रकबा															
महुलिया-	52	546	0.44 1/2															
		547	0.42															
			<u>0 86 1/2</u>															
29.02.2017	<p>3</p> <p>रकबा कर्मचारी एवं अंमल निरीक्षक जदवा ग्राम प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन खोला किमा गया</p> <p>अंमल अधिकारी जदवा</p>																	
09.03.2017	<p>अभिलेख उपस्थापित किमा गया दोनों पक्ष अनुपस्थित</p> <p>अंमल अधिकारी जदवा</p>																	

10.06.17

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

अध्यक्ष दोनों पक्षों की पुणः उपस्थित होने हेतु नीति निर्धारित करें और दिनांक 03.07.2017 को विधि निर्धारित किया जाता है।

६/10/06

अंमल अधिकारी
उदिया

03.07.17

अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष अधिकार दोनों पक्षों द्वारा राजस्व कागज प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि ग्राम महुलिया के सतत सं. 52 (लॉट 546, 547 रकबा 0.78 $\frac{3}{4}$ एच भूमि का नक्का हुआ है प्रन्तु गावरी में 0.78 $\frac{3}{4}$ एच भूमि के स्थान पर 1.28 एच धरा दिया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि गावरी से रकबा घट गया है तो सुधार किया जा सकता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है
अध्यक्ष: द्वितीय पक्ष विपक्षी की पट दे कर अनापत्ति पत्र की मांग करें।

६/03/07

अंमल अधिकारी
उदिया

10.10.2017

अभिलेख उपस्थापित किया गया

श्री कृष्णा महतो पिता स्व. जोरान महतो ग्राम महुमा द्वारा प्रस्तुत भूमि से संबंधित अनापत्ति आवेदन दिया गया है।

अनापत्ति आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम-महुलिया के सतत सं. 52 (लॉट सं. 546, 547, रकबा 0.78 $\frac{3}{4}$ एच भूमि से मुझे किसी प्रकार के कोई आपत्ति नहीं है उक्त भूमि का रकबा सुधार किया जा सकता है।

हका कर्मचारी एवं अंमल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जॉय प्रतियेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम महुलिया के गांव पंजी II के प्रक सं. 22/II पर जोरान महतो के नाम से 1.65 एकड़ भूमि का मांग चलता है एक भाई कृष्णा महतो ने अपने हिस्से की भूमि केवाला सं. 607 दिनांक 29.01.2003 के द्वारा 0.78 $\frac{3}{4}$

10.10.20

एकड़ भूमि विक्री कर दिया उक्त
जमावंदी में $0.78 \frac{3}{4}$ एकड़ भूमि का
जमानत रकम चुका है किन्तु गलती से
 $0.78 \frac{3}{4}$ एकड़ भूमि के स्थान पर 1.28
एकड़ भूमि धरा दिया गया है। हल्का
कर्मीचारी द्वारा यह भी उल्लेख किया
गया है कि ग्राम महुलिया के मांग
पंजी II के प्रपत्र सं० 22/II पर
 1.65 एकड़ में से $0.78 \frac{3}{4}$ एकड़
भूमि धराकर $0.86 \frac{1}{4}$ एकड़ भूमि
बचत रकबा किया जा सकता है।

हल्का कर्मीचारी एवं मांगल निरीक्षक
द्वारा शर्मा जॉय प्रतिवेदन एवं
दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजस्व
कागजात का खोला कन किया जिसे
पामा गया कि ग्राम महुलिया के मांगपंजी
II के प्रपत्र सं० 22/II पर जोरन मधो
के नाम से 1.65 एकड़ भूमि का मांग चलता
था एक आड़ कृषका मधो $0.78 \frac{3}{4}$ एकड़
भूमि विक्री कर दिया है उक्त भूमि का गलती
से मांगपंजी में $0.78 \frac{3}{4}$ एकड़ के स्थान पर
 1.28 एकड़ भूमि धरा गया है।

आत. हल्का कर्मीचारी एवं मांगल
निरीक्षक द्वारा शर्मा जॉय प्रतिवेदन
के आधार पर ग्राम महुलिया के स्थान
से 52 (लौह सं० 546, 547 के मांग
पंजी II के प्रपत्र सं० 22/II पर दर्ज
रकबा 1.65 एकड़ में से $0.78 \frac{3}{4}$ एकड़ भूमि
धराकर शेष $0.86 \frac{1}{4}$ एकड़ भूमि
बचत रकबा का मांगपंजी II में दर्ज करने
की स्वीकृति दी जाती है।

आदेशक की न प्रति में आदेश निरास
करे और एक प्रति हल्का कर्मीचारी को
हस्तगत करा है।
जॉय प्रतिवेदन एवं संशोधन
कर्मीचारी
मांगल निरीक्षक
हल्का

हल्का